

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

राजस्व लोक अदालत ( न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी ( आर.ए.एस)

अनवान :-

1. चेताराम पुत्र श्योजतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

### बनाम

1. श्योजतराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. भागीराम पुत्र श्योजतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. कलावती पत्नि स्व चौथुराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. रामनिवास पुत्र स्व चौथुराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
5. कविता पुत्री स्व चौथुराम जरिये नाबालिग कुदरती बली माता कलावती पत्नी चौथुराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
6. गिरदावरी 7 सुन्दरदेवी 8 राममूर्ति पुत्रीया श्योजतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
- 9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 123 सन 2018 निर्णय दिनांक-10.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 187/190 के खसरा न0 720/2.5040 ,763/1.240 ,764/6.1460 ,786/16.8320 हैव कुल 26.5060 हैव में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी का 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिव 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाच <sup>हैव</sup> मात्र का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

  
शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
कैम्प कोट-सोनडी

राजस्व लोक अदालत ( न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- सोनडी  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 123 सन 2018

अनवान :-

1. कृष्णलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. महेश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. चन्द्रकला पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत  
धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिथत : श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :-

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 187/190 के खसरा न0 720/2 की 2.5040हैक् , 763/1.0240हैक् , 764/6.1460हैक् , 786/16.8320हैक् कुल 25.5060हैक् भूमि जिसके वादी के दादा तुलछाराम पुत्र लेख खातेदार काश्तकार थे वादी के दादा तुलछाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 पर विरास्तन से औद हुई विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहन है ने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश हुआ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने वादी के वाद को लोक भावना से प्रेरित होकर स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होंने अपने हक हिस्सा को अपने भाईयों /पिता के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार को एतराज नहीं है व राजीनामा पेश किया गया।

हमने वकील वादी की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा तुलछाराम पुत्र लेख के नाम से दर्ज थी वादी के दादा तुलछाराम एवं उसकी पत्नि के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई एव वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उनके हक हिस्सा की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है पैतृक सम्पति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसकी न्यायालय से धोषणा करवाने का वादी अधिकारी है।


वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके द्वारा अपने

हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार कर लिया है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी काबिज डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टॉम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों / प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 187/190 के खसरा न0 720/2 की 2.5040हैक् , 763/1.0240हैक् , 764/6.1460हैक् , 786/16.8320हैक् कुल 25.5060हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

  
शिविर प्रभारी  
राजस्व लोक अदालत-2018  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
कैम्प कोट-सोनडी